कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना//

रायपुर शहर के भीतर विभिन्न स्थानो में स्थित नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप के संचालन–संधारण किये जाने के एवज में 03 वर्षो तक विज्ञापन अधिकार हेतु।

क्रमांक – 1548 /भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2022 रायपुर दिनांक 15/11/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में स्थित नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप के संचालन– संधारण किये जाने के एवज में 03 वर्षो तक विज्ञापन अधिकार हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में दिनांक 7/12/2022 को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी/फर्म/कंपनी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रहेगा। **लिफाफा 'ब' में** निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक 8/12/2022 को अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
निविदा अवधि	03 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क.	कार्य का विवरण	संख्या	साईज (वर्गफीट में)	न्यूनतम आफसेट राशि	अमानत राशि (राशि रूपये में)
1	रायपुर शहर के भीतर विभिन्न स्थानों में स्थित नॉन ए. सी. सिटी बस स्टॉप के संचालन–संधारण का कार्य के एवज में 03 वर्षो तक विज्ञापन अधिकार हेतु।	25 (सूची संलग्न)	200 वर्गफीट प्रति बस स्टॉप	10.00 लाख	1.00 लाख

टीपः– निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्ते एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned with Oken Scanner

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— रायपुर शहर के भीतर विभिन्न स्थानों में स्थित नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप के संचालन—संधारण किये जाने के एवज में 03 वर्षो तक विज्ञापन अधिकार हेतु निविदा आमंत्रण बाबत्।

संदर्भ :— नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक 1548 दिनांक 15/11/2022

———000———

क.	कार्य का विवरण	संख्या	साईज (वर्गफीट में)	न्यूनतम आफसेट राशि	निविदा दर प्रथम वर्ष हेतु (राशि रू. में)
1	रायपुर शहर के भीतर विभिन्न स्थानों में स्थित नॉन ए. सी. सिटी बस स्टॉप के संचालन—संधारण का कार्य के एवज में 03 वर्षो तक विज्ञापन अधिकार हेतु।	25 (सूची संलग्न)	200 वर्गफीट प्रति बस स्टॉप	10.00 लाख	

निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। **जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है।** मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :—

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :—

पूर्ण पता :—

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :—

अमानति राशि रू. 1.00 लाख रू. के एफ.डी.आर./DD का विवरण :—

Scanned with Oken Scanner

रायपुर शहर के भीतर विभिन्न स्थानो में स्थित नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप के संचालन–संधारण किये जाने के एवज में 03 वर्षो तक विज्ञापन अधिकार हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 15/11/2022 की शर्ते

1. निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से होगा। **लिफाफा 'अ'** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 05 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। **लिफाफा 'ब'** में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा।
2. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें सभी बस स्टॉप के विज्ञापन माध्यम हेतु एक ही निविदा दर भरना होगा। जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम् दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा अर्थात् सभी स्थलों हेतु सिर्फ 01 सफल निविदाकार होगा।
3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी किया गया हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
5. **नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप पर बी.ओ.टी. (Built Operate & Transfer) के आधार पर विज्ञापन का माध्यम बनाया जायेगा जो कि निविदा अवधि समाप्ति पश्चात् सभी स्थापित विज्ञापन माध्यम स्वमेव नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित हो जायेंगे।**
6. अनुबंध 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
7. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा।**

   कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप पर विज्ञापन माध्यम की स्थापना हेतु दी जायेगी।

   तत्पश्चात् अर्थात् विज्ञापन माध्यम की स्थापना हेतु दी गई अवधि समाप्ति दिनांक के दूसरे दिन से किराया लागू माना जावेगा। स्थल उपलब्धता के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर, निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को इसकी सूचना कार्यादेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित निविदा राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा 03 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर अनुबंध के पूर्व **दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत निविदा राशि का 30% राशि जमा करना अनिवार्य है तथा शेष राशि 70% में से 30% राशि को कार्यादेश जारी दिनांक से 05 माह के भीतर, अगले 20% को कार्यादेश जारी दिनांक से 08 माह के भीतर जमा एवं शेष 20% को कार्यादेश जारी दिनांक से 10 माह के भीतर जमा करना होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा।** भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।
9. यदि रोड चौड़ीकरण या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से बस स्टॉप को हटाया जाता है तो निविदाकार एजेंसी को स्वयं के व्यय से हटाना होगा। इसके लिए नगर निगम से किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति नही दी जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 02

Scanned with Oken Scanner

10. किन्ही कारणों से किसी रोड पर नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप पर विज्ञापन माध्यम लगाने का कार्य निरस्त किया जाता है, तो अमानति राशि वापस की जायेगी, किन्तु सफल निविदाकार को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
11. बस स्टॉप के ऊपर 20'X10' साईज का विज्ञापन बोर्ड लगाया जायेगा या बस स्टॉप के लंबाई (सामने एवं दोनो साईड को मिलाकर) के अनुसार एवं ऊँचाई 05 फीट का ही विज्ञापन फलक लगाना होगा।
12. **नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप के स्ट्रक्चर में आवश्यकतानुसार सुधार एवं रंग–रोगन करना होगा। लाईट आवश्यकतानुसार नये लगवाने होंगे एवं बैठने की व्यवस्था अर्थात् कुर्सियॉं यदि टूट–फुट गये है तो उसे आवश्यकतानुसार नये लगाया जाना होगा। नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप में आवश्यक सिविल कार्य भी एजेंसी को स्वयं के व्यय पर करना होगा। नॉन ए.सी. बस स्टॉप का उचित रूप से संधारण करते हुये उसकी स्थिति हमेशा आकर्षक एवं सुन्दर रखना होगा। फ्लोर में किसी भी प्रकार का गंदगी नही होना चाहिए।** मेंटेनेंस संतोषप्रद नही होने की दशा में प्रति विजिट प्रति बस स्टॉप राशि रू. 1000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
13. नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप पर लगाये गये विज्ञापन माध्यम का स्ट्रक्चरल डिजाइन नगर निगम में पंजीकृत सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा उन्हें विज्ञापन माध्यम की डिजाइन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
15. विज्ञापन माध्यम आंधी–तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकर को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबन्ध 50 रूपयें के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
16. विज्ञापन माध्यम स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा तथा प्रतिवर्ष संधारण कार्य करने की जानकारी देना होगा।
17. विज्ञापन माध्यम में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
18. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा विज्ञापन माध्यम स्थापित करने एवं उस पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
19. अन्य दूसरें विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
20. नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप पर लगाये गये विज्ञापन माध्यम से यातायात किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होनी चाहिएं, यातायात प्रभावित होने की स्थिति में दी गई अनुमति निरस्त की जा सकेगी।
21. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी।
22. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
23. यह कि शासन एवं नगर निगम रायपुर द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, लघु विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नही किया जायेगा अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटा दिये जायेगें तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 03

Scanned with Oken Scanner

24. नॉन ए.सी. सिटी बस स्टॉप पर लगाये गये विज्ञापन माध्यम में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपकमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नही किया जाएगा।
25. फर्म द्वारा विज्ञापन माध्यम में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार–प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यकम के प्रयोजन–आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नही किया जाएगा।
26. विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नही किया जाएगा।
27. विज्ञापन बोर्ड में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की एवं पर्यावरण विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिएं। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।
28. विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
29. ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नही हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, रायपुर जिम्मेदार नही होगा।
30. एक बार बोर्ड लग जाने के बाद बोर्ड की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नही होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा–बरसात या अन्य किन्ही कारणों से कटे–फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि होर्डिंग्स गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।
31. निविदा की शर्तो का पालन नही किये जाने कि दशा में समस्त जमा राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही की जायेगी।
32. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा।
33. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
35. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned with Oken Scanner